कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**M/S S.B.S. Biotech, Unit-IInd Mauza Jattan Nahan Road, Kala, Tehsil-Nahan, Disstt. Sirmour, Himanchal Pradesh.**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**054 / 13, 25.10.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

M/S S.B.S. Biotech, Unit-IInd Mauza Jattan Nahan Road, Kala, Tehsil-Nahan, Disstt. Sirmour, Himanchal Pradesh. द्वारा दिनांक 25.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा पृच्छा की गयी है कि केश किंग आयुर्वेदिक तेल पर कर की दर क्या होगी।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को दिनांक 13.11.2013 के लिए नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयी, जिसे प्रार्थी द्वारा लेने से इन्कार किया गया। नियत तिथि 13.11.2013 को कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में केश किंग तेल पर 5% की दर से कर आरोपित किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि SESA OIL, NAVRATAN OIL, FIGRO OLIVE OIL पर भी 4% की दर से उत्तर प्रदेश में कर दिया जा रहा है। विभिन्न बिलों की छाया प्रतियॉं दाखिल की गयीं।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी हिमांचल प्रदेश के हैं तथा पंजीकृत या अपंजीकृत रुप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत ‘‘ person or dealer concerned ’’ in U.P.VAT Act ही प्रश्न पूछ सकता है। प्रार्थी ‘‘ person or dealer concerned ’’ नहीं हैं। अत: उनके द्वारा दिया गया, धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुतकर्ता द्वारा अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-41 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

Drugs & Medicines excluding medicated soap, shampoo, antiseptic cream, face cream, masage cream, eye jel and hair oil but including vaccines, syringes and dressing, medicated ointments, light liquid paraffin of IP grade ; Chooran ; sugar pills for medicinal use in homeopathy. human blood components; C.A.P.D. Fluid; Cyclosporin.

उपरोक्त प्रविष्टि में Drugs & Medicines से Hair Oil को Exclude किया गया है। अत: Hair Oil अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति करयोग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा Hair Oil की बिक्री की गयी है जिस पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी हिमांचल प्रदेश के हैं। वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं । अत: '' person or dealer concerned '' in U.P.VAT Act न होने के कारण उनके द्वारा दिया गया, धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2013

ह0 / 12.12.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।